न्यायालय :– सहायक कलक्टर (फास्ट – ट्रेक) शाहपुरा जिला जयपुर–ग्रामीण

पीठासीन अधिकारी :– श्री अशोक कुमार, आर ए एस
वाद संख्या :– 23/2023

शीर्षक

1. रविशंकर पुत्र मालचन्द उम्र व्यस्क, जाति खटीक, निवासी मनोहरपुर तह0 शाहपुरा जिला जयपुर राजस्थान।

– वादी

बनाम

1. नीरज पुत्र मालचन्द
2. श्यामसुन्दर पुत्र मालचन्द
3. कौशल्या पुत्री मालचन्द
4. प्रेमिला पुत्री मालचन्द
5. रजनी पुत्री मालचन्द
6. निशा पत्नी गौरव
7. तुषार पुत्र कुलदीप असवाल नाबालिग जरिये संरक्षक पिता
   समस्त जाति खटीक, निवासी ग्राम मनोहरपुर तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर राज0।
8. उपपंजीयक–शाहपुरा/मनोहरपुर , तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर, राज0।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील शाहपुरा जिला जयपुर राज0।

न्यायालय सहायक कलक्टर शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज. सत्यमेव जयते

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत् बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा–53 व 188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

निर्णय दिनांक 7/11/2023

वाद संक्षेप इस प्रकार है कि, हाल आ0ख0नं0 7811 रकबा 0.0100, 7812 रकबा 0.5000 है0 कुल किता – 2 कुल रकबा 0.5100 है0 वाकै ग्राम शिवपुरी, पटवार हल्का – मनोहरपुर, तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर में स्थित है, जिसकी वर्तमान खातेदारी में वादी का 7/30 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या – 1, 2 प्रत्येक का 7/30 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या – 03, 04, 05 प्रत्येक का 1/10 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है।

यह कि हाल आराजी ख0 न0 7813 रकबा 0.7000, 7813/8666 रकबा 1.0600 है0 वाकै ग्राम शिवपुरी तह0 शाहपुरा जिला जयपुर में स्थित है जिसकी वर्तमान खातेदारी में वादी का 1331/9600 हिस्सा तथा प्रतिवादी सं0 01 का 7/30 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 02 का 1331/9600 हिस्सा प्रतिवादी सं0 03, 04, 05 प्रत्येक का 1/10 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 06 का 833/17600 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 07 का 25/176 हिस्सा राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में दर्ज है।

यह कि जिमन नंबर 1 व 2 वादं पत्र में दर्ज भूमि पर वादी व प्रतिवादीगण सं0 1 लगायत 7 राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार उक्त आराजी ख0 न0 की भूमि पर शामिल में ही काबिज रहकर काश्त व उपयोग उपभोग करता आ रहे है, उक्त विवादित भूमि का खातेदारान् के मध्य कोई कानूनी बंटवारा नहीं हुआ हैं। इस कारण प्रतिवादीगण सं0 1 लगा0 6 के मन में दुर्भावना आ गयी है और उन्होंने वादी के खिलाफ एक नाजायज संगठन बना लिया है और वादी को उसके हिस्से की भूमि के कब्जे काश्त में मजाहमत व अडचन पैदा करने लग गये है तथा उक्त भूमि के विशिष्ट भू–भाग पर निर्माण कार्य करने व वादी को उसके हिस्से की भूमि से जबरन बेदखल करने पर आमादा है तथा उक्त विवादित आराजी मुतनाजा के उपजाउ व विशिष्ट भू–भाग का बेचान दीगर व्यक्तियों के पक्ष में करने पर आमादा है।

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

Scanned with OKEN Scanner

यह कि अभी 2 दिन पूर्व प्रतिवादीगण अजनबी व्यक्तियो को लेकर वादी के कब्जे काश्त की उक्त विवादित आराजी मुतनाजा की भूमि पर आये और उक्त विवादित भूमि की सीमाऐ बेचान करने के उद्देश्य से दिखाने लगे व मौके पर नाप जोख करने लगे वादी ने नाप जोख का कारण पूछा तो प्रतिवादीगण ने कहा कि हम उक्त भूमि के विशिष्ट भू–भाग पर निर्माण कार्य करेगे तथा भूमि का बेचान करेगे जिस पर वादी ने प्रतिवादीगण को मना किया कि और कहा कि अभी अपनी भूमि का कानूनी बंटवारा नही हुआ है तथा आपको किसी भी विशिष्ट भू–भाग को बिना बंटवारा करवाये बेचान करने व निर्माण कार्य करने का कोई हक अधिकार प्राप्त नही है जिस पर प्रतिवादीगण ने ऐलानिया कहा कि हम तो बिना तकास्मा कराये ही उक्त विवादित भूमि के विशिष्ट व उपजाऊ भू–भाग का बेचान दीगर अंजनबी व्यक्तियो को करेगे जो तुम्हे अपने आप जबरन ताकत के बल पर बेदखल कर देगे तथा अबकी बार तुझे फसल काश्त नही करने देगे। इस प्रकार प्रतिवादीगण की हरकतो से स्पष्ट है कि वे सहखातेदारी में नही रहना चाहते है व उक्त भूमि का बिना तकास्मा करवाये विशिष्ट भू–भाग बेचने पर आमादा है इसलिए वादी को प्रतिवादीगण के विरूद्ध अधिकार हासिल है कि न्यायालय श्रीमान द्वारा उक्त विवादित भूमि का राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से के आधार पर बंटवारा कराया जाकर वादी के हिस्से में आयी भूमि का पर्चा लगान अलग अलग निर्धारित करवाये।

यह कि वाद पत्र के जिमन नं0 1 व 2 में वर्णित सम्पूर्ण आराजीयात वादी व प्रतिवादीगण की सामलाती सम्पति मुतनाजा है उक्त आराजीयात का पूर्व में कानूनी बंटवारा नही हुआ है लेकिन प्रतिवादीगण उक्त भूमि का बिना बंटवारा कराये ही उसके उपजाऊ विशिष्ट भू–भाग को दीगर व्यक्तियो को बेचान करने पर आमादा है तथा वादी के हिस्से की भूमि के कब्जे काश्त में मजाहमत पैदा करते है। यह कि प्रतिवादीगण अपने मन्सूबो में सफल हो गये और वादी को अकथनीय हानि होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी प्रकार से धनराशि के रूप में संभव नही हो सकेगी तथा पक्षकारो में अनावश्यक मुकदमे बाजी बढेगी। इसलिए उक्त वाद न्यायालय श्रीमान् के समक्ष पेश करना आवश्यक हुआ है।

अन्त में निवेदन किया कि हाल आ0ख0नं0 7811 रकबा 0.0100, 7812 रकबा 0.5000 है0 कुल किता – 2 कुल रकबा 0.5100 है0 वाकै ग्राम शिवपुरी, पटवार हल्का – मनोहरपुर, तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर एवं हाल आराजी ख0 न0 7813 रकबा 0.7000, 7813/8666 रकबा 1.0600 है0 वाकै ग्राम शिवपुरी तह0 शाहपुरा जिला जयपुर का वादी एवं प्रतिवादीगण सं0 01 लगायत 07 के मध्य राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में दर्ज हिस्से अनुसार कब्जे काश्त के आधार पर राजस्व बोर्ड के नियमो के मुताबिक कानूनी बंटवारा करवाया जाकर राजस्व लगान अलग अलग निर्धारित किया जावे जिसका अमल दरामद राजस्व रिकार्ड में किया जावे एवं हाल आ0ख0नं0 7811 रकबा 0.0100, 7812 रकबा 0.5000 है0 कुल किता – 2 कुल रकबा 0.5100 है0 वाकै ग्राम शिवपुरी, पटवार हल्का – मनोहरपुर, तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर एवं हाल आराजी ख0 न0 7813 रकबा 0.7000, 7813/8666 रकबा 1.0600 है0 वाकै ग्राम शिवपुरी तह0 शाहपुरा जिला जयपुर के वादी के हिस्से में आयी भूमि के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की कोई बेजा दखलअन्दाजी पैदा नही करे वादी को शांति पूर्वक काबिज रहकर काश्त करने देवे व जबरन ताकत के बल पर बेदखल नहीं करे तथा उक्त आराजी मुतनाजा पर किसी प्रकार का कोई कच्चा पक्का निर्माण कार्य नही करे व राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथा स्थिति बनाये रखे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विधिवत प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गए। बाद तामील प्रतिवादीगण अनुपस्थित। प्रतिवादीगण संख्या 01 लगा0 7 के विरूद्ध दिनांक 29.03.2023 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी एवं प्रतिवादीगण संख्या 08 व 09 के विरूद्ध दिनांक 28.07.2023 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। दिनांक 28.07.2023 को प्रकरण को प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार शाहपुरा से बंटवारा रिपोर्ट मंगवाई गई। प्रकरण में तहसीलदार शाहपुरा के पत्रांक/भू0अ0/2023/3633 दिनांक 25.10.2023 द्वारा बंटवारा रिपोर्ट प्राप्त हुई। बंटवारा कुर्रेजात पर वकील वादी को सुना गया। वकील वादी ने बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार वाद–पत्र को अन्तिम डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। बंटवारा प्रस्ताव सही होने से दावा अंतिम डिक्री किया जाना उचित समझते है।

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

अतः तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा रिपोर्ट अनुसार दावा अन्तिम डिक्री किया जाता है कि ग्राम शिवपुरी, पटवार हल्का मनोहरपुर तह0 शाहपुरा जयपुर के हाल आ0ख0नं0 7811 रकबा 0.0100, 7812 रकबा 0.5000 है0 कुल किता – 2 कुल रकबा 0.5100 है0 एवं हाल आराजी ख0 न0 7813 रकबा 0.7000, 7813/8666 रकबा 1.0600 है0 भूमि का खातेदारान के मध्य बंटवारा कर निम्नानुसार पृथक–पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है –

1. निशा पत्नी गौरव असवाल हिस्सा 1/2, नाबालिग तुषार असवाल पुत्र कुलदीप असवाल हिस्सा 1/2 जाति खटीक, निवासी मनोहरपुर के हिस्से में आराजी खसरा नंबर 7813/1 रकबा 0.15, 7813/8666/1 रकबा 0.35 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.50 है0 भूमि रहेगी।

2. रविशंकर, श्यामसुन्दर, नीरज पि0 मालचन्द हिस्सा बराबर जाति खटीक सा0 निवासी मनोहरपुर के हिस्से में आराजी खसरा नंबर 7813/2 रकबा 0.16, 7813/8666/2 रकबा 0.36 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.52 है0 भूमि रहेगी।

3. रविशंकर, श्यामसुन्दर, नीरज पि0 मालचन्द हिस्सा बराबर, कौशल्या, रजनी पुत्रियां मालचन्द हिस्सा बराबर जाति खटीक सा0 निवासी मनोहरपुर के हिस्से में आराजी खसरा नंबर 7813/3 रकबा 0.39, 7813/8666/3 रकबा 0.35, 7811 रकबा 0.01, 7812 रकबा 0.50 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 1.25 है0 भूमि रहेगी।

तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट व नक्शा ट्रेस निर्णय का जुज रहेगा। तदानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार शाहपुरा को लिखा जावें। वादीगण/प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे एक दूसरे के कब्जे काश्त में किसी तरह मजाहमत एवं दखलन्दाजी पैदा नही करें। पर्चा डिक्री जारी। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम हों।

निर्णय आज दिनांक 7/11/2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(अशोक कुमार)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
शाहपुरा जिला जयपुर–ग्रामीण

न्यायालय सहायक कलक्टर शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.
सत्यमेव जयते

प्रपत्र – 5

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.) शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अशोक कुमार, आर ए एस
वाद संख्या :– 23/2023

शीर्षक

1 रविशंकर पुत्र मालचन्द उम्र व्यस्क, जाति खटीक, निवासी मनोहरपुर तह0 शाहपुरा जिला जयपुर राजस्थान।

– वादी

बनाम

1 नीरज पुत्र मालचन्द
2 श्यामसुन्दर पुत्र मालचन्द
3 कौशल्या पुत्री मालचन्द
4 प्रेमिला पुत्री मालचन्द
5 रजनी पुत्री मालचन्द
6 निशा पत्नी गौरव
7 तुषार पुत्र कुलदीप असवाल नाबालिग जरिये संरक्षक पिता
समस्त जाति खटीक, निवासी ग्राम मनोहरपुर तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर राज0।
8 उपपंजीयक–शाहपुरा/मनोहरपुर , तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर, राज0।
9 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील शाहपुरा जिला जयपुर राज0।

– प्रतिवादीगण

<u>दावा बाबत् बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा–53 व 188</u>
<u>राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955</u>

निर्णय दिनांक 7/11/2023

तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा रिपोर्ट अनुसार दावा अन्तिम डिक्री किया जाता है कि ग्राम शिवपुरी, पटवार हल्का मनोहरपुर तह0 शाहपुरा जयपुर के हाल आ0ख0नं0 7811 रकबा 0.0100, 7812 रकबा 0.5000 है0 कुल किता – 2 कुल रकबा 0.5100 है0 एवं हाल आराजी ख0 न0 7813 रकबा 0.7000, 7813/8666 रकबा 1.0600 है0 भूमि का खातेदारान के मध्य बंटवारा कर निम्नानुसार पृथक–पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है –

1. निशा पत्नी गौरव असवाल हिस्सा 1/2, नाबालिग तुषार असवाल पुत्र कुलदीप असवाल हिस्सा 1/2 जाति खटीक निवासी मनोहरपुर के हिस्से में आराजी खसरा नंबर 7813/1 रकबा 0.15, 7813/8666/1 रकबा 0.35 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.50 है0 भूमि रहेगी।

2. रविशंकर, श्यामसुन्दर, नीरज पि0 मालचन्द हिस्सा बराबर जाति खटीक सा0 निवासी मनोहरपुर के हिस्से में आराजी खसरा नंबर 7813/2 रकबा 0.16, 7813/8666/2 रकबा 0.36 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.52 है0 भूमि रहेगी।

3. रविशंकर, श्यामसुन्दर, नीरज पि0 मालचन्द हिस्सा बराबर, कौशल्या, रजनी पुत्रियां मालचन्द हिस्सा बराबर जाति खटीक सा0 निवासी मनोहरपुर के हिस्से में आराजी खसरा नंबर 7813/3 रकबा 0.39, 7813/8666/3 रकबा 0.35, 7811 रकबा 0.01, 7812 रकबा 0.50 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 1.25 है0 भूमि रहेगी।

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

Scanned with OKEN Scanner

तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट व नक्शा ट्रेस निर्णय का जुज रहेगा। तदानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार शाहपुरा को लिखा जावें। वादीगण/प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे एक दूसरे के कब्जे काश्त में किसी तरह मजाहमत एवं दखलन्दाजी पैदा नही करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम हों।

निर्णय आज दिनांक 7/11/2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय सहायक कलक्टर शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज. सत्यमेव जयते

(अशोक कुमार)
सहायक कलक्टर (फास्ट – ट्रेक)
शाहपुरा जिला जयपुर–ग्रामीण
सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शों के लिए स्टांम्प 4. .... रूपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह – व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

Scanned with OKEN Scanner